


राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं मू-विज्ञान विभाग, बीकानेर

दिनांक 15.09.2020 दैनिक भास्कर में 'प्रकाशित समाचार खनन माफिया ने बॉर्डर की तारबंदी के 500 मीटर पास तक खोदी जमीन, सुरंग बनाकर घुस सकते हैं आतंकी' के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट।

प्रकाशित समाचार के क्रम में सत्यापन हेतु दिनांक 15.09.2020 को हल्का फोरमेन एवं 16.09.2020 को अधोहस्ताक्षरकर्ता, सहायक खनि अभियन्ता कोलायत(सत) मय तकनीकी स्टाफ राजस्व विभाग के तहसीलदार बज्जु, पटवारी के साथ बीएसएफ की अन्नेवाली व सतपाल बोर्डर चेकपोस्ट पर पहुंचे। मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित बीएसएफ के पोस्ट कमान्डर द्वारा बताया गया कि बोर्डर चेकपोस्ट से 1 किलोमीटर के क्षेत्र में किसी प्रकार की खनन गतिविधियां संचालित नहीं होती हैं। बोर्डर क्षेत्र से 1 किलोमीटर के बाहर चल रहे खनन गतिविधियों में कार्यरत व्यक्ति/श्रमिकों की आईडी चेक की जाती है। आईजी (वर्क्स) श्री अमित लोढा दिल्ली कार्यालय में पदस्थापित है। मौके पर यह भी अवगत कराया कि उक्त समाचार को हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा भी गंभीरता से लिया जा रहा है तथा क्षेत्र में हमारी टीम द्वारा नियमित चैकिंग की जा रही है। समाचार पत्र में प्रकाशित तथ्य गलत हैं। रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


खनि अभियन्ता बीकानेर